

14.6.17 आज पत्रावली 2017 के दि. 10/6/17 को प्रेषित की गई है। पत्रावली में प्रेषित राशि का नतीजा है। पत्रावली का दि. 26.7.17 को प्रेषित है।

26.07.17 वकील उभयपक्ष उपर। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु श्रमग चर्चा। पत्रावली का दि. 23.08.17 को प्रेषित है।

23.08.17 वकील उभयपक्ष उपर। पत्रावली का दि. 27.09.17 को प्रेषित है।

27.09.17 वकील उभयपक्ष उपर। पत्रावली का दि. 12.10.17 को प्रेषित है।

12.10.17 वकील उभयपक्ष उपर। बहस हेतु श्रमग चर्चा। पत्रावली का दि. 30.10.17 को प्रेषित है।

30.10.17 वकील उभयपक्ष उपर। वकील वकील ने बहस हेतु श्रमग चर्चा देने का विशेष अनुरोध किया। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली का दि. 20.11.17 को प्रेषित है।


20.11.17 वकील उभयपक्ष उपर। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी पत्र 12 की पत्रावली दि. 02.12.11 को उभयपक्ष हाजरी व अंतिम चर्चा में शामिल किया गया है। प्रार्थी बीमार होने के कारण एवं अतिवृद्ध अवस्था में अस्व होने के कारण श्रमग चर्चा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रमग चर्चा में पत्रावली को पुनः नया पर किया जाये। जबकि वकील प्रार्थी का कथन है कि पत्रावली में बहस हेतु कई अवसर देने, श्रमग चर्चा में शामिल हेतु कई अवसर देने, अंतिम अवसर देने, अंतिम पर भी

contd.

अवसर देने के उपरान्त भी ब्याहम नहीं करवाने  
के कारण दस वकील प्रार्थी द्वारा जानबूझकर  
खारिज करवाया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र 09R  
4 CPC खारिज फर्माया जावे।

ब्याहम पत्र मनन किया गया। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र से संबंधित  
रस पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली  
दिनांक 06.01.06 से 11.11.11 तक ब्याहम हेतु नियत  
रही है। इस प्रकार एक रस पत्रावली में 5 वर्षों  
अधिक समय गुजरने के उपरान्त भी ब्याहम नहीं  
की गई है। साथ ही दिनांक 02.12.11 को न्यायालय में  
उपस्थित नहीं होने का भी संतोषजनक कारण  
नहीं बताया गया है। अतः हमारी सिनियर राम  
में प्रार्थना पत्र 09R4 CPC खारिज किया जाना  
न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना  
पत्र 09R4 CPC खारिज किया जा रहा है। पत्रावली  
फैसलपुर होकर नंबर के कम हो एवं बाद  
वकील जमा जिला फिलेखाना हो।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी (स०मा०)